राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक :डीसी/डी–2/जन.–टेस्टिंग/2015/ दिनांक :

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक

राजस्थान

विषयः– नये लाईसेंस हेतु प्राप्त आवेदन पर लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत समयबद्ध कार्यवाही किये जाने के क्रम में।

सहायक औषधि नियंत्रकों द्वारा नये लाईसेंस हेतु आवेदन प्राप्त किये जाते हैं जिनका इन्द्राज "प्राथिमिकता रजिस्टर" में किया जाता हैं। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत 20 कार्यदिवस के भीतर समयबद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किये जाने के लिए समयावधि नियत हैं।

अतः समस्त सहायक औषधि नियंत्रकों को निर्देशित किया जाता हैं कि नये अनुज्ञा पत्रों के आवेदन प्राप्त होने पर उसकी प्राप्ति रसीद आवेदक को देते हुए, आवेदन का इन्द्राज "प्राथिमिकता रजिस्टर" में दर्ज करवाकर उनके आवेदन की "प्राथिमिकता क्रमांक" एवं "निरीक्षण की अनुमानित तिथि" से आवेदक को आवश्यक रुप से अवगत करावें।

ह0

(के0 जयवन्त)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :डीसी/डी–2/जन.–टेस्टिंग/2015/299 दिनांक : 15-06-2015

प्रतिलिपिः–

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज0, जयपुर।
2. औषधि नियंत्रक–प्रथम, मुख्यालय।
3. अध्यक्ष, जोधपुर डिविजन केमिस्ट एसोसिएशन, द्वारा मेसर्स मयुर फार्मा, बाडमेर को ज्ञापन दिनांक 10.06.15 के क्रम में।
4. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित अधिकारियों को ई–मेल करने का श्रम करें।

15/6/15

(के0 जयवन्त)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर